न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 16/2022 **दायर दिनांकः 25.08.2022**

उनवान

1. मांगीबाई पुत्री श्रीलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति दांगी नि. मायाखेड़ी तहसील पिड़ावा
2. प्रेमबाई पुत्री श्रीलाल पत्नी देवबक्श जाति दांगी नि. खेराना तहसील पिड़ावा
3. सरदारबाई पत्नी श्रीलाल जाति दांगी नि. डोला हाल नि. खेराना तहसील पिड़ावा

——अपीलांटस

बनाम

1. श्रीलाल पि. किशनलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिड़ावा
2. भारत दांगी पुत्र श्रीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिड़ावा
3. सरपंच सेकेट्री ग्राम पंचायत डोला तहसील पिड़ावा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पिड़ावा

— रेस्पोडेन्टगण

बनाराजगी फैसला रद्द करने नामान्तरण संख्या 1830 दिनांक 21.11.2021 ग्राम पंचायत डोला अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :—
अभिभाषक अपीलांट :— श्रीमति फरजाना मिर्जा
रेस्पोडेन्टस 1 व 2 :— श्री महेन्द्रसिंह जैन
रेस्पोडेन्टस 3 व 4 — ग्राम पंचायत डोला व पेरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : 02/01/2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि माननीय अधिनस्थ ग्राम पंचायत डोला के सरपंच से ग्राम डोला तह. पिड़ावा में स्थित आराजी खाता संख्या 248 खसरा नं. 442 रकबा 1.5176 हे. खसरा नं. [illegible] रकबा 1.5934 हे. खसरा नं. 494 रकबा 0.4426 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 3.5536 हे. आराजी का हिस्सा 1/4, व खाता नं. 167 खसरा नं.437 रकबा 1.2393 हे. खसरा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

439 रकबा 0.7967 हे. खसरा नं. 440 रकबा 0.4932 हे. खसरा नं. 441 रकबा 0.8347 हे. खसरा नं. 594 रकबा 1.8590 हे. खसरा नं. 598 रकबा 1.1888 हे. खसरा नं. 599 रकबा 0.0126 हे. खसरा नं. 611 रकबा 0.5944 हे. कुल किता 8 कुल रकबा 7.0187 हे० आराजी का हिस्सा 1/16, खाता नं. 244 खसरा नं. 469 रकबा 1.3279 हे. खसरा नं. 469/930 रकबा 1.0117 है. खसरा नं. 470 रकबा 0.0759 हे. खसरा नं. 517 रकबा 1.2393 हे. खसरा नं. 519 रकबा 1. 3405 हे. खसरा नं. 603 रकबा 0.0885 हे. खसरा नं. 604 रकबा 0.0126 हे. खसरा नं. 605 रकबा 0.0253 है. खसरा नं. 606 रकबा 0. 1391 है. खसरा नं. 625 रकबा 0.0379 हे. खसरा नं. 636 रकबा 0.0759 हे. खसरा नं. 857 रकबा 0.9105 हे. खसरा नं. 863 रकबा 0.1897 हे. कुल किता 13 कुल रकबा 6.4748 हे. आराजी का हिस्सा 1/2 वाके ग्राम डोला तह.पिड़ावा जिला झालावाड़ राज. के सम्बन्ध में दिनांक 21.11.2021 को नामान्तरण संख्या 1830 तस्दीक करवाया गया जो विधि के नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण रद्ध होने योग्य है। यह कि पेरा नं.1 में वर्णित आराजी में से रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्रीलाल ने हल्का पटवारी से सांठ–गांठ करके व ग्राम पंचायत सरपंच रेस्पोडेन्ट नं. 3 से सांठ–गांठ करके दुषित प्रक्रिया से करवाये गये बेचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 1830 दिनांक 21.11.2021 को करवाया गया हैं। जबकि अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2 व 4 के खिलाफ अपने हक हिस्से अधिकार के लिए माननीय उपखण्ड न्यायालय के यहां दावा क्रमांक 64/2021 व प्रार्थनापत्र 58/2021 व दावा क्रमांक 65/2021 व प्रार्थनापत्र 59/2021 व दावा क्रमांक 66/2021 व प्रार्थनापत्र 60/2021 दिनांक 25.08.2021 को दायर कर दिये गये है और रेस्पोडेन्टस नं. 1, 2, व 4 को सम्मन तामील भी हो चुके है व रेस्पोडेन्ट नं.1 श्रीलाल दिनांक 20.09.2021 को मय अधिवक्ता के माननीय न्यायालय में उपस्थित हो चुका है लेकिन माननीय उपखण्ड न्यायालय मे दावा जेरकार रहते हुए रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने पटवारी व ग्राम पंचायत [illegible] से सांठ–गांठ करके श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी पिड़ावा को यह गलत जानकारी देकर की पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी को लेकर कोई वाद किसी न्यायालय में जेरकार नहीं है और बेचान पत्र दिनांक 12.10.2021 को करवा लिया जिसकी पुस्तक संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जिल्द संख्या 325 में पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 202103285101906 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1031 के पृष्ठ संख्या 246 से 252 पर चस्पा किया गया और उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 1830 दिनांक 21.11.2021 को ग्राम पंचायत सरपंच डोला द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण विधि के नियमों कानूनी प्रक्रिया तथा प्रावधानों के विरूद्ध होने से नामन्तरण रद्ध होने योग्य है। यह कि पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी में अपीलान्टस नं. 1 व 2 का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन हक व अधिकार है। उक्त आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी है और रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अपीलान्टस को उनके हक अधिकार से वंचित करने के लिए पटवारी, सरपंच ग्राम पंचायत डोला से सांठ–गांठ करके नामान्तरण संख्या 1830 दिनांक 21.11.2021 को करवाया है जो नामान्तरण न्यायोचित नहीं है एवं विधि विरूद्ध होने से रद्ध होने योग्य है। यह कि माननीय न्यायालय के अधिनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 से मिले होने के कारण उन्होंने किसी प्रकार की तहकीकात नहीं की अपील के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी व बेचानपत्र में वर्णित आराजी जो बेचान रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने रेस्पोडेन्ट नं. 2 के नाम किया है। उक्त आराजी को लेकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के यहां वाद जेरकार है, लम्बित है। यह कि माननीय न्यायालय के अधिनस्थ ग्राम पंचायत सरपंच ने न्यामानुसार कोरम का गठन किये बिना ही नामान्तरण जेर अपील तस्दीक कर दिया जो मनमाना है एवं रद्ध होने योग्य है। यह कि अपीलान्टस को नामान्तकरण (इन्तकाल) जेर अपील का ज्ञान दिनांक 19.05.2022 को होने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थनापत्र कानून मियाद अपील के साथ प्रस्तुत है। यह कि अपील उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से प्रस्तुत है। शेष कारण बहस के समय मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील आ... ...मय खर्चा स्वीकार फरमायी जावे। नामान्तरण जेर अपील संख्या 1830 ग्राम... ...जो सरपंच ग्राम पंचायत डोला द्वारा दिनांक 21.11.2021 को तस्दीक किया गया है उसे रद्ध फरमाया जावे इसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में करवाये गये अमल दरामद रद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(8)

कर कम किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं बाद जांच व तहकीकात अपीलान्टस के खाता संख्या 167 के कुल किता 8 कुल रकबा 7. 0187 हे. भूमि ग्राम डोला तह. पिड़ावा में स्थित भूमि जिसमें रेस्पोडेन्ट नं. 1 का 1/16 हिस्सा निहित है उस हिस्से में प्रत्येक अलीलान्टस का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है व खाता संख्या नया 248 के कुल किता 3 कुल रकबा 3.5536 है. भूमि ग्राम डोला तह.पिड़ावा जिला झालावाड़ में स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट नं. 1/4 हिस्सा निहित है उक्त हिस्से में प्रत्येक अपीलान्टस का 1६6–1६6 हिस्सा निहित है एवं खाता संख्या नया 244 के कुल किता 13 कुल रकबा 6. 4748 हे. ग्राम डोला तह. पिड़ावा जिला झालावाड़ में स्थित है पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है उक्त हिस्से में प्रत्येक अपीलान्टस का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। इसलिए भी नामान्तरण संख्या 1830 दिनांक 21.11.2021 को रद्ध करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैटस 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि अपील की मद न. 1 मे वर्णित आरजीयात के सम्बंध में नामान्तरण संख्या 1830 दिनांक 21.11.2021 तस्दीक होना स्वीकार है, परन्तु विधि के नियमों एवं प्रावधानो के विरुद होना अस्वीकार है। यह कि अपील की मद नं. 2 गलत होने से अस्वीकार है। गलत है कि हल्का पटवारी से सांठ–गांठ करके व ग्राम पंचायत सरपंच रेस्पो 3 से सांठ–गांठ करके दुषित प्रक्रिया से बेचान के आधार पर नामा. सं. 1830 दिनोक 21.11.2021 करवाया हो। यह भी गलत है कि मेरे मुकदमा बेचान हुआ हो। समस्त कथन गलत होने से अस्वीकार है। यह कि अपील की मद की. 3 अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि रेस्पो. नं. 2 ने रेस्पो में 1 से रजिस्टर्ड बेचान पत्र से आराजी क्रय की है तथा पंजीबद्ध बेचानपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत डोला द्वारा अपीलीय [illegible] 1830 दिनांक 21.11. 2021 तस्दीक किया गया है। यह कि अपील की मद [illegible] अस्वीकार है। ग्राम पंचायत नें बेचान पत्र के आधार पर नामा तस्दीक [illegible] है। यह कि अपील की मद में 5 गलत होने से अस्वीकार है। यह कि अपील मियाद बाहर होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खारीज होने योग्य है। यह कि अपील की मद न. 7 कानूनी है। यह कि अपील की मद न.. 8 कानूनी है। यहाकि मद न. 9 जवाब की मोहताज नही है। अपील अपीलांटस खारीज होने योग्य है। **विशेष कथन** – यह कि रेस्पो 2 ने जो भूमियां कय की है वह बेचानकर्ता रेस्पो 1 की खातेदारी की भूमिया हैं। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 की शक्तियो के तहत खातेदार को अपनी भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकारो का उपयोग करते हुए बेचान कर्ता रेस्पो नं. 1 ने सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 वं पंजीयक अधि॰ 1908 की धारा 47 के प्रावधानो की पालना करते हुए भूमि का बेचान रेस्पो न. 2 को किया है। यह कि रेस्पो 2 ने भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से कय की है, पंजीकृत विक्रय पत्र को जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करा लिया जाता तब तक उक्त पंजीकृत विकय पत्र पर आधारित नामा. को निरस्त नहीं किया जा जा सकता। क्योकि नामा. मात्र फिस्कल कार्यवाहीं है। नामा–से किसी के भी वादग्रस्त आराजी के अधिकार नही मिलते है, अपितु खातेदारी अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र से अर्जित होते हैं। अगर नामा निरस्त कर दिया जाये और पंजीकृत विकय पत्र यथावत रहता है तो इससे राजस्व अभिलेखो मे विसंगतिया पैदा हो जावेगी क्योकि पंजीकृत विकय पत्र से आर्जित खातेदारी अधिकार तो केता के पास रहेगे, इस प्रकार जब तक पंजीकृत विकय पत्र अस्तित्व में है नामा. निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह कि अपील में नामा रद्द किये जाने के कोई ठोस आधार नही है। अपीलान्स ने खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है तो अधिकार नियमित वाद मे तय होगे। ऐसे में अपील मेन्टेनेबल नहीं है। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर है। इस कारण भी अपील खारीज होने योग्य है। शेष कारण वक्त बहस निवेदन किये जायेगे। अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस खारीज फरमावे।

3. रेस्पोडैटस 3 व 4 को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक [illegible] रेस्पोन्डेन्टस सं. 3 व 4 का जवाब अवसर बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम डोला नामान्तरण संख्या 1830 दिनांक 21.11.2021 की सत्यप्रति, ग्राम डोला का खाता सं. 167, 248, 244 जमाबंदी सं. 2074–77 की नकले एवं एफ.आई.आर.नं. 295/2023 दिनांक 07.11.2023, एफ.आई.आर.नं. 344/2024, प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2024, इस्तगासा सं. 124/2023 दिनांक 14.08.2023, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2023, नोटिस धारा 91 एल. आर.एक्ट दिनांक 10.11.2023, धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रेमबाई, सरदारबाई, मांगीबाई, देवबक्श के बयानो की नकल, पूछताछ रिपोर्ट दिनांक 05. 08.2024, श्रीमान थानाधिकारी महोदय पिडावा का पत्र दिनांक 05.08.2024, बेचानपत्र दिनांक 12.10.2021, प्रकरण सं. 58/2021 व 59/2021 व 30/2021 धारा 212 प्रार्थना पत्र व आदेशिका नकले पेश की।

5. रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 की ओर से 2012(2) RRT 1299 Board of revenue for rajasthan ajmer चिंता कुमारी बनाम राज.सरकार 2023(1) RRT 576 Board of revenue for rajasthan ajmer चर्तुभुत बनाम रंगलाल व अन्य, 2006-07(sup.) RRT 261 Board of revenue for rajasthan ajmer शांतीदेवी बनाम जमालउद्दीन न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम डोला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 167 किता 8 रकबा 7.0187 है. में हिस्सा 1/16, खाता सं. 248 किता 3 रकबा 3.5536 है. में हिस्सा 1/4 एवं खाता सं. 244 किता 13 रकबा 6.4748 है. में हिस्सा 1/2 रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्रीलाल पि. किश्नलाल का दर्ज रिकार्ड था। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 1 की पैतृक आराजी है और अपीलां[illegible] सं. 1 के कानूनी वारीसान है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 की वादग्रस्त आराजी में अपने हक व अधिकारो की घोषणा के लिए [illegible] न्ययालय उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी पिड़ावा में दिनांक 25.08.2021 को तीन वाद सं. 64/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 58/2021, वाद सं. 65/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 59/2021 एवं वाद सं. 66/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 60/2021 दर्ज रजिस्टर किये गये थे जिनमें रेस्पोडेन्टस को न्यायालय से सम्मन जारी होकर दिनांक 20.09.2021 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्रीलाल अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया था। उक्त तीनो वादो के न्यायालय में लंबित होने और प्रकरणों की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने हल्का पटवारी व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 से षडयंत्र कर न्यायालय में लंबित प्रकरणों के तथ्यों को छुपाते हुए दिनांक 12.02.2021 को बेचानपत्र सं. 202103285101906 पंजीयन कराया गया और फिर झूंठे तथ्यों एवं धारा 52 सम्पति हस्तानान्तरण अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्ध ग्राम पंचायत डोला से बेचान नामा.सं. 1830 दिनांक 21.11.2021 निर्णित करा लिया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने न्यायालय में वादग्रस्त आराजी को लेकर वाद लंबित होते हुए भी बेचानपत्र के पेज नं. 2 पर न्यायालय में कोई वाद जैरकार नहीं होने का अंकन करते हुए और बेचान का पूर्ण अधिकार होने का झूंठा अंकन करते हुए बेचानपत्र उपपंजीयक कार्यालय पिड़ावा में पंजीकृत कराया गया। न्यायालय में लंबित सभी प्रकरणों में रेस्पोडेन्ट सं. 1 को सम्मन की तामील होकर न्यायालय में उपस्थित हो चुके थे। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से कोरम की बैठक आयोजित किये बिना और कोरम की बैठक की सात दिवस पूर्व सूचना दिए बिना बैठक आयोजित कर कोरम की गणपूर्ति संख्या के अभाव में निर्णित नामा.सं. 1830 अवैध होने से खारीज योग्य है। अतः झूंठे तथ्यों के आधार पर तैयार एवं धारा 52 सम्पत्ति हस्तानान्ततरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के विरूद्ध तथा अपीलांटस के हक व अधिकारो को समाप्त करने के लिए पंजीकृत बेचानपत्र दिनांक 12.10.2021 के प्रारम्भ से अवैध एवं विधिविरूद्ध होने से इसके आधार पर निर्णित नामा.सं. 1830 भी प्रारम्भ से शून्य [illegible] से खारीज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. अभिभाषक रेसपोडेटस द्वारा उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांटस द्वारा नामा.सं. 1830 दिनांक 21.11.2021 के विरूद्ध दिनांक 25.08.2022 को यह अपील पेश की गई है जो तीस दिन की समय सीमा से परे होने से लिमिटेशन एक्ट से बाधित होने से खारीज योग्य है। अपीलांटस द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः देरी माफ नहीं की जा सकती है। आगे तर्क किया गया कि अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हक व अधिकारो की घोषणा के लिए इसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में दिनांक 25.08.2021 को तीन वाद सं. 64/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 58/2021, वाद सं. 65/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 59/2021 एवं वाद सं. 66/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 60/2021 दायर किये गये थे परन्तु विक्रेता/प्रतिवादीगण को न्यायालय से जारी सम्मनों की रजिस्ट्री दिनांक 12.10.2021 तक तामील नहीं होने से वाद के लंबित होने का ज्ञान रेसपोडेन्ट सं. 1 को नहीं था। अभिभाषक रेसपोडेटस द्वारा तर्क किया गया कि इसी न्यायालय में खातेदारी अधिकारो की घोषणा के वादपत्रों के लंबित रहते हुए इसी न्यायालय में समान वादग्रस्त आराजी हेतु दायर अपील पोषनीय नहीं है। अपीलांटस को पहले खातेदारी अधिकारो की घोषणा करानी है और फिर अपील दायर कर सकते है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा का निर्धारण लंबित वादों में गुणावगुण के आधार पर सुनवाई उपरांत तय होगे ना कि प्रस्तुत अपील में। अतः प्रस्तुत अपील खारीज योग्य है। अभिभाषक रेसपोडेटस द्वारा तर्क किया गया कि धारा 52 सम्पत्ति हस्तानान्ततरण अधिनियम 1882 के प्रावधान इसी न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वादो के लंबित रहते प्रस्तुत अपील पर लागू नहीं होगे। आगे तर्क किया कि अपीलांटस द्वारा पंजीकृत बेचानपत्र दिनांक 12.10.2021 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है जिस कारण नामा.सं. 1830 दिनांक 21.11.2021 को [illegible] किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारीज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने समर्थन में 2006-07(sup.) RRT 281 Board of revenue for rajasthan ajmer गोविन्दी बनाम अलाउद्दीन, 2012(2) RRT 1299 Board of revenue for rajasthan ajmer किशन कुमारी बनाम राज. सरकार व 2023(1) RRT 576 Board of revenue for rajasthan ajmer कर्पूरचन्द बनाम रंगलाल व अन्य न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

9. उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पेश न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश इस न्यायालय में लंबित वाद सं. 64/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 58/2021, वाद सं. 65/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 59/2021 एवं वाद सं. 66/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 60/2021 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद दिनांक 01.09.2021 को दर्ज रजिस्टर हुए थे जिसमें रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण की ओर से रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्रीलाल मय अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा दिनांक 20.09.2021 को उपस्थित हुए और वकालातनामा पेश किया गया। अत स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टस को इस न्यायालय में लंबित उक्त वादो में सम्मन की तामील होकर रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी मय अधिवक्ता दिनांक 20.09.2021 को उपस्थित हो चुके थे और वादो के लंबित होने की पूर्ण जानकारी थी। अपीलांटस द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार विक्रेता श्रीलाल द्वारा न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं होने और बेचान पर मेरे वारीसो को किसी प्रकार का ऐतराज व उज्र नहीं होने का अंकन कर विक्रयपत्र का पंजीयन कराया गया है। अतः स्पष्ट है कि विक्रेता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में गलत तथ्यों का अंकन कर उप पंजीयक कार्यालय पिडावा से भूमि का पंजीयन दौराने वाद कराया गया है।

10. धारा 52 सम्पत्ति हस्तानान्तरण [illegible] जिसे लंबित वाद का सिद्धान्त भी कहते है– [illegible] किसी अचल सम्पत्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय [illegible] उस सम्पत्ति का कोई भी हस्तानान्तरण या लेन देन उस मुकदमों के [illegible]कारो के अधिकारो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(14)

प्रभावित नहीं कर सकता, जब तक कि न्यायालय द्वारा अनुमति ना दी जावे। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य न्यायिक प्रकिया में हस्तक्षेप और धोखाधडी को रोकना है जिससे विवाद का समाधान/निर्णय एवं डिकी का निष्पादन प्रभावित नहीं हो। धारा 52 के लागू होने के लिए आवश्यक है कि उस सम्पत्ति को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद लंबित हो, लंबित वाद कपटपूर्ण नहीं हो और सम्पत्ति में पक्षकारो के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे हो तथा सम्पत्ति का अंतरण या बेचान दौराने वाद किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त अचल सम्पत्ति का बेचान रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा दौराने वाद लंबित होने की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद किया जाना साबित है। इस राजस्व न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए लंबित प्रकरणों सं. 64/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 58/2021, वाद सं. 65/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 59/2021 एवं वाद सं. 66/2021 मय प्रार्थना पत्र सं. 60/2021 के वादपत्रों के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट सं. 1 की विधिक पुत्रियां होने से अपीलांट सं. 1 व 2 का हक व अधिकार हस्तानानतरण से प्रभावित होगा। **अतः हस्तगत प्रकरण में धारा 52 सम्पत्ति हस्तानान्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधान लागू होगे और हस्तगत बेचान धारा 52 के प्रावधानो के विरूद्ध है।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

11. अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम डोला तहसील पिडावा का बेचान नामा.सं. 1830 दिनांक 24.11.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि **उक्त नामान्तरण नायब तहसीलदार पिडावा श्री महेश शर्मा द्वारा तस्दीक किया गया था, ना कि ग्राम पंचायत डोला द्वारा तस्दीक किया गया। तत्समय ग्राम पंचायत डोला के सरपंच श्रीमति भगवतीबाई दांगी थी।** नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा निर्णित किये गये नामान्तरण आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर को है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा निर्णित नामान्तरण आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। केवल ग्राम [illegible] की कोरम द्वारा निर्णित नामान्तरण आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही न्यायालय उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी को है। इस संबंध में राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानो का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है–

<u>75. First Appeals</u> – (1) Save when otherwise provided in this Act, a first appeal shall lie –

[(a) to the Collector from an original order passed by a Tehsildar in matters not connected with settlement or land records,

(b) to the revenue appellate authority from an original order passed by an Assistant Collector or a Sub-Divisional Officer or a Collector in maters not connected with settlement,

(c) to the Settlement Officer from an original order passed by a revenue court or officer subordinate to him.

(d) to the Land Records Officer an original order passed by a revenue court or officer subordinate to him.

(e) to the Settlement Commissioner from an original order passed by a Settlement Officer or by a Collector in matters connected with Settlement

(f) to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records, and

(g) to the Board from an original order passed by the Commissioner or Additional Commissioner, the revenue appellate authority.

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम डोला के खाता सं. 167 किता 8 रकबा 7.0187 है., खाता सं. 248 [illegible] 3.5536 है. एवं खाता सं. 244 किता 13 रकबा 6.[illegible] द्वारा निर्णित किये गये नामा.सं. 1830 [illegible] क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(16)

–:क्रियात्मक आदेश:–

13. परिणामतः ग्राम डोला तहसील पिड़ावा की आराजी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 167 किता 8 रकबा 7.0187 है., खाता सं. 248 किता 3 रकबा 3.5536 है. एवं खाता सं. 244 किता 13 रकबा 6.4748 है. के संबंध में नायब तहसीलदार पिडावा द्वारा निर्णित नामा.सं. 1830 दिनांक 21.11.2021 के विरूद्ध अपीलांटस की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 क्षेत्राधिकार से वर्जित होने से खारीज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 02/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/1/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner